छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश

क्रमांक <u>96</u> (App.) /

बिलासपुर, दिनांकः 🖊 दिसम्बर, 2019

II-14-1/2018 (AG-III)


छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की स्थापना पर सहायक श्रेणी—तीन के पद हेतु बनाये गये प्रतीक्षा सूची से निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक श्रेणी—तीन के पद पर पे मेट्रिक्स के लेवल—4 (19500-62000) में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से 2 वर्ष की परिवीक्षा पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर 4. में दर्शित वर्ग के विरुद्ध निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन नियुक्त किया जाता है:—

S.No.	Name (Shri/Smt./Ku.) (Father/Husband Name)		
1	2	3	4
1.	Aditya Agrahari S/o Shri Suresh Kumar Agrahari	408, Ward No. 46, 02, Rajnandgaon (C.G.) - 491441	UR
2.	Aakash Kumar Chaturvedi S/o Shri Rajendra Chaturvedi	House No. 117, Geetanjali Park, Mangala, Bilaspur (C.G.) - 495001	UR
3.	Abdul Riyaj S/o Shri Abdul Vahab	Subhash Nagar, Takhatpur, Bilaspur (C.G.) - 495330	UR
4.	Chandra Kumar S/o Shri Laxman Sahu	511, Bajrang Chowk, Dundera, Durg (C.G.) - 491107.	UR
5.	Neeraj Rana S/o Shri Dali Ram Rana	12, C/o Vijay Dewangan Tailors, Behind Shitla Mandir, Amin Para, Narayanpur, Raipur (C.G.) 492001	UR
6.	Alok Kumar Sharma S/o Shri Parmanand Sharma	01, Karmagarh, Hamirpur, Raigarh (C.G.) - 496107	UR
7.	Daulat Ram Sahu S/o Shri Janak Ram Sahu	Ward No. 04, Village Lakhanpur, Jhalap, Mahasamund (C.G.) 493551	UR
8.	Surendra Kumar S/o Shri Ram Prashad	108, Basti Para, Aroud, Giroud, Dhamtari (C.G.) - 493662	UR
9.	Hemant Kumar Yadav S/o Shri Babu Lal Yadav	NA, Naagdoune Colony, Vyapar Vihar Road, Bilaspur (C.G.) - 495001	UR
10.	Sheshnarayan Dewangan S/o Shri Gangdev Prasad Dewangan	S/o Late Shri Gangdev Prasad Dewangan, Shankarpur Road, Station Para, Ward No. 7, Rajnandgaon (C.G.) - 491441.	UR
11.	Abhishek Dewangan C/o Shri Bhartee Dewangan	C/o Dewangan Kirana Store, Sangam Chowk, Kamardih, Shankar Nagar, Raipur (C.G.) - 492007	UR
12.	Rashid Sheikh S/o Shri Samsuddin Sheikh	115, Krishi Mandi Road, Ward No. 7, Surajpur (C.G.) - 497229	UR
	Dheeraj Kumar Sinha S/o Shri Chandu Lal Sinha	C-3, Sector-1, Awadhpuri, Bhatagaon, Raipur (C.G.) - 492001	OBC
	Surendra S/o Shri Madhav Singh	19/29, Ambedkar Nagar, Pump House Ke Pass, Sarangarh, Raigarh (C.G.) - 496445.	SC
	Manish Kumar Barman S/o Shri Malik Ram	48, Ward No. 01, Nawagaon, Thelka, Bhalukhondra, Mungeli (C.G.) - 495334.	SC
	Akash Chaturvidani S/o Shri Phaguram	MIG-502, Chilphy Heights, Bhawna Nagar, Raipur (C.G.) - 492001	SC

S.No.	Name (Shri/Smt./Ku.) (Father/Husband Name)	Address	Appointed against category	
17.	Sushil Saurabh Sinha S/o Shri Krishna Ram Sinha	Rest House Campus, Main Road, Dongargaon, Rajnandgaon (C.G.) -491661	UR-Divyang	
18.	Kajol Jangde C/o Shri N.C. Jangde	412, Near Sahara Bank, Jai Hanuman Nagar, Boriya Road, Sunder Nagar, Raipur (C.G.) - 492013.	SC-Female	
19.	Hemlata Tengwar C/o Shri Videshi Ram Tengwar	C/o Meghnath Khandekar, Ward No. 5, Jairamnagar, Bilaspur (C.G.) - 495550.	SC-Female	
20.	Premnath S/o Shri Sadan Ram	03, Gotiguda Para, Kawadgaon, Mundagaon, Bastar (C.G.) - 494224.	ST	
21.	Chain Singh Markam S/o Shri Dhani Ram	57, Patel Para, Mudghusri Jangal, Baijalpur, Kabirdham (C.G.) - 491995.	ST	
22.	Ashwani Kumar Sidar S/o Shri Ram Bharos Sidar	53/25, Indira Nagar, Kharod, Janjgir-Champa (C.G.) - 495556	ST	
23.	Aditya Singh S/o Shri Paramnath Singh	253, Nawapara, Fundurdihari, Ambikapur, Surguja (C.G.) - 497001.	ST	
24.	Yogesh Kumar Singh S/o Shri Amresh Kumar Singh	26-A, Nagoi Darima, Surguja (C.G.) - 497001.	ST	
25.	Govind Kumar Dhruw S/o Shri Shiv Kumar Dhruw	Adawal Police Line, Block-G, Q. No. S/1, R.T.O. Road, Aadawal, Jagdalpur, Bastar (C.G.).	ST	
26.	Saurabh Thakur S/o Shri Gangaram	Rajmahal Chowk, Ward No. 10, Kawardha, Kabirdham (C.G.) - 491995	ST	
27.	Naveen Kumar S/o Shri Ram Prasad	Bharritola, Chipra, Balod (C.G.) - 491228.	ST	
28.	Jyoti Kanwar C/o Shri Madan Singh	03, New Risda, Bhadarapara, Ambedkar Chowk, Balco Nagar, Korba (C.G.) - 495684.	ST-Female	
29.	Juhi Kashyap C/o Shri H.K. Kashyap	1/270, 27 Kholi, Nand Kisor Vihar, Near Church, Bilaspur (C.G.) - 495001.	ST-Female	
30.	Arpana Kujur C/o Shri Vijay Kujur	Near Water Tank, Angel Heart School, Mahuwapara, Fundurdihari, Ambikapur, Surguja (C.G.) - 497001.	ST-Female	

शर्ते:-

- (1) परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे एक वर्ष तक और बढ़ाई जा सकेगी और जब तक स्थायी न कर दिया जाये तब तक उन्हे परिवीक्षा पर माना जायेगा।
- (2) परिवीक्षा काल में उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी ।
- (3) अस्थायी सेवा काल में वे यदि स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो एक माह की पूर्व सूचना रिजस्ट्री को देनी होगी या यदि तुरन्त कार्य मुक्त होना चाहे तो एक माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया जाना हो तो उन्हें नियोक्ता द्वारा एक माह की पूर्व सूचना दी जायेगी या ऐसी सूचना के बदले एक माह का वेतन देकर तुरन्त सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।



- (4) चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 06.01.2020 तक अनिवार्य रूप से अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि उनके द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से अपात्र किया जावेगा तथा चयनित सूची से उनका नाम पृथक कर दिया जावेगा।
- (5) उन्हे शपथ लेना होगा कि वे विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
- (6) वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया स्वस्थता का प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करेंगें जिसका व्यय उन्हें स्वयं वहन करना होगा।
- (7) सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक अथवा मानसिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रतिकूल होने की अवस्था में नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जा सकेगा।
- (8) उन्हे अनुप्रमाणन फार्म भरना होगा। पुलिस प्रमाणीकरण अथवा सत्यापन प्रतिकूल होने की अवस्था में नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
- (9) वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य विभाग को किसी पद के लिये सीधे आवेदन नहीं करेंगें।
- (10) वे बिना पूर्व अनुमित के किसी विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययन नहीं करेंगे, और न ही स्वाध्यायी छात्र के रूप में किसी परीक्षा में सिम्मिलित होगें, यदि वे अध्ययन करते हुए अथवा परीक्षा में सिम्मिलित होते हुए पाये गये तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- (11) चयनित अभ्यर्थीं गण कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, मूल दस्तावेजों सिहत अवश्य प्रस्तुत करें:— उक्त पद हेतु व्यापम, रायपुर को भेजे गये ऑनलाईन फार्म की प्रति, व्यापम, रायपुर द्वारा ली गई लिखित परीक्षा हेतु जारी की गई प्रवेश पत्र की प्रति, समस्त शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, मूल प्रमाण पत्रों सिहत अवश्य प्रस्तुत करें। यह पाये जाने पर कि उन्होंने अपने आवेदन में (व्यापम को भेजे गये) और कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में मिथ्या तथ्यों का समावेश किया है या कोई तथ्य छिपाया है अथवा वह विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अर्हता नहीं रखते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
- (12) यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके समस्त दस्तावेजों के जाँच के अध्यधीन है तथा यदि दस्तावेज पात्रतानुसार नहीं पाये जाने अथवा उचित/सही नहीं पाये जाने पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से वंचित किया जा सकेगा तथा उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- (13) यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) है तथा जाति / जनजाति प्रमाण पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किए जाने के अध्यधीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग जैसा भी मामला हो, से सम्बन्ध होने का दावा झूठा है तो बिना कोई कारण बताए तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही, जो की जा सकती है संबंधी कार्यवाही के अतिरिक्त, संबंधित की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।
- (14) "आरक्षित पद के विरुद्ध चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ

17.12-19

13-4/2006/आ.प्र./1-3 दिनांक 29.06.2013 में संलग्न प्रारूप के अनुसार शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।" (प्रारूप संलग्न)

- (15) उपरोक्त चयनित अभ्यथियों की वरीयता आज तक इस उच्च न्यायालय की स्थापना पर नियुक्त सहायक श्रेणी—तीन, सहायक श्रेणी—तीन (कम्प्यूटर), सहायक श्रेणी—तीन (फोटोकॉपी ऑपरेटर), पी.बी.एक्स. ऑपरेटर के सबसे अंतिम स्थान पर होगा और उनकी पारस्परिक वरीयता उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नहीं अपितु प्रावीण्य सूची में उपरोक्तानुसार उनके क्रम से शासित होगी।
- (16) यह नियुक्ति आदेश चयनित अभ्यर्थियों के उपलब्ध निवास के पते पर रिजस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित की जा रही है साथ ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के वेबसाईट पर भी अपलोड की जा रही है। चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाईट से डाउनलोड करके भी अपना कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं।
- (17) यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवायें (नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा आचरण) नियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है अतः इस आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त उनकी सेवाएं उक्त नियम के प्रावधानों से शासित होंगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

> सही / – (नीलम चंद सांखला) रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठां० क्रमांक 15594 /

बिलासपुर, दिनांकः 🍞 दिसम्बर, 2019

II-14-1/2018 (AG-III)

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निज सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,

2. रजिस्ट्रार (विजि./आई.एण्ड ई./न्या./एस.एण्ड ए. सेल), छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर,

3. एडिशनल रजिस्ट्रार (न्या. / जिला स्था. / प्रशासन), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,

4. प्रभारी रजिस्ट्रार (कम्प्यूटराईजेशन)—कम—सी.पी.सी., छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर उक्त आदेश को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,

5. लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,

6. डिप्टी रजिस्ट्रार (कार्य / लेखा), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,

7. सहायक रजिस्ट्रार (स्था.), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,

8. अनुभाग अधिकारी (प्रोटोकॉल / कैश), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,

9. उपरोक्तानुसार 1 से 30 तक समस्त अभ्यर्थीगण,

की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2005 17.12.2019

(नीलम चंद सांखला) रजिस्ट्रार जनरल

प्रारूप (एक)

आरक्षित पद अथवा सीट पर नियुक्त / प्रवेशित / निर्वाचित / नामांकित / मनोनित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत

शर्पथ-पत्र

	मैं श्री/श्रीम उम्र वर्ष	ती / कुमारीं . :		चित्रासी	` आ0	
र	उम्र वर्ष ोल	ं व्यवसाय ं जिला	. राज्य		गपथपूर्वक	कथन्
करता /	करती हूँ कि :				· ·	र्म के

- (1) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद/सीट/ लाभ/सुविधा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है/था।
- (2) मेरी नियुक्ति / प्रवेश / निर्वाचन / नामांकन / मनोन्यन आरक्षित पद / सीट के अध्ययधीन प्रदान की गई है।
- (3) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को होने के संबंध में(प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पद) द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- (4) मेरे द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र विहित रीति से तथा विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा उक्त प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी को दी गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य है।

सकेगा तथा में उक्त नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/चयन/प्रदत्त लाभ/स्रिवेधा आदि के संबंध में व्यय की गई राशि अनावेदक को वापस करने सुविधा आदि के संबंध में व्यय की गई राशि अनावेदक को वापस करने हेतु दायित्वाधीन होउँगा तथा उक्त राशि मुझसे भू राजस्व के बकाया की भाँति वसूली जा सकेगी तथा उक्त संबंध में मेरे विरूद्ध छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रारिथिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 सं 13 में निर्दिष्ट कार्यवाही की जा सकेगी

हस्ताक्षर

सत्यापन

में श्री/श्रीमती/कुमारी
आत्मज/आत्मजा सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र
की कण्डिका 1 से 5 में उल्लिखित लेख मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी
अनुसार सही है, जिसे मैं पूरे होशो हवास में सत्यापित करता हूँ

हस्ताक्षर

	नि:शक्तजनों (PWD) के लिए मेडिकल प्रमाण का प्रारूप			
स्थान	/ हॉस्पीटल का नाम व पता			
प्रमाण '	पत्र सं			
1-	यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी			
	पिता उम्र वर्ष लि	गि– पु	राष / म	16MI
	पहचान पत्र नीचे दर्शित अनुसार निम्न वर्ग के स्थायी निःशक्तता से है:-			
	(ए) चलने-फिरने में रूकावट या मस्तिष्क पक्षाघात,			
	1. बीएल – दोनों पांव प्रभावित पर बांहे (Arm) नहीं,	Ph	otograp	oh
	2. बीए – दोनों बांहे प्रभावित – (ए) पहुंचने में बाधा			
	(बी) नियंत्रण की कमजोरी			
	3. ओएल – एक पांव प्रभावित (दांया या बांया),			
	(ए) पहुंचने में बाधा (बी) नियंत्रण की कमजोरी, (सी) ऐटॅक्सिक (Ataxic)	उपर	दिये गये	जगह
	4. ओए – एक बांह प्रभावित (बांया या दांयां)	में	आवेदक हस्ताक्षर	के
	(ए) पहुंचने में बाधा (बी) नियंत्रण की कमजोरी, (सी) ऐटॅक्सिक (Ataxic)			
	5. बीच — पीठ तथा कुल्हे की गठिया (बैठ या खड़ा न हो सकना)			
	 एमडब्ल्यू – स्नायु संबंधी कमजोरी तथा सीमित शारीरिक सहनशीलता 			
(बी)	दृष्टिहीनता (अंधत्व) या कम दृष्टि : 1. बी—अंधत्व, 2. बीपी — आंशिव	जंधत्व	ī	
(सी)	श्रवण बाधित (बहरापन) : 1. डी–बहरा, 4. पीडी– आंशिक			
	(उस वर्ग को काट दें जो लागू नहीं होता)			
2-	स्थिति, प्रगतिशील / गैर प्रगतिशील है, सुधार होने की संभावना है / नहीं है। इस स्थि	ति का	पुनः नि	र्धारण
	वर्षमाह की अवधि के बाद सिफारिश के योग्य नहीं है/रि	नफारिश	व के यो	ग्य है।
3-	उनमें निःशक्तता का प्रशितत प्रतिशत है।			
4-	श्री / श्रीमती / कुमारी अपने कार्यो र	के डिस	चार्ज के	लिए
	निम्नलिखित शारीरिक जरूरतों को पूरा करता / करती है। 1			
	1. एफ- अंगुलियों के साथ कुशलता से कार्य निष्पादित कर सकता/सकती	है।	हॉ	नहीं
	2. पीपी— खींचने और धकेलने का कार्य कर सकता है।		हॉ	नहीं

	5 — TEEL \$ 1	हॉ	नहीं
3.	एल- उटाने का कार्य कर सकता है।	हॉ	नहीं
4.	केसी— घुटने के बल तथा झुककर कार्य कर सकता है।	हॉ	नहीं
5.	बी– तिरछा होकर कार्य कर सकता है।	हॉ	नहीं
6.	एस- बैठकर कार्य कर सकता है।	हॉ	नहीं
7.	एसटी- खड़े रहकर कार्य कर सकता है।	हॉ	नहीं
8.	डब्ल्यू- चलकर कार्य कर सकता है।	हॉ	नहीं
9.	एसई- देखकर कार्य कर सकता है।	हॉ	नहीं
10.	एच- सुनकर/बोलकर कार्य कर सकता है।	हॉ	नहीं
11.	आरडब्ल्यू – पढ़कर / लिखकर कार्य कर सकता है।		

डॉक्टर का हस्ताक्षर	डॉक्टर का हस्ताक्षर	डॉक्टर का हस्ताक्षर
नाम	नाम	नाम
पंजीयन क	पंजीयन क	पंजीयन क

- नोट:—1. निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 73 की उपधारा (1) एवं (2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हैं केन्द्र सरकार द्वारा 31.12. 1996 को अधिसूचित किये गये निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1996 के अनुसार निःशक्तता प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारी केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत स्थापित मेडिकल बोर्ड होंगे। राज्य सरकार भी कम से कम तीन सदस्यों का एक मेडिकल बोर्ड गिटित कर सकता है जिसमें एक सदस्य किसूी खास क्षेत्र लोकोमीटर/हियरिंग एवं स्पीच डिसएबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन तथा लेप्रोसी, जैसी भी स्थिति हो, का विशेषा होगा।
 - 2. जिनकी निःशक्तता अस्थायी है, उनके लिए प्रमाण पत्र 5 वर्षों की अवधि के लिए वैध रहेगा। जिनकी निःशक्तता स्थायी प्रकार की है उनके लिए प्रमाण पत्र की वैधता को स्थायी के रूप में दिखाया जा सकता है।

FORM V CERTIFICATE OF DISABILITY

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

[See rule 18(1)]

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability. Date.....

		person with disability.
Certificate No		Date
This is to certify that wife/daughter of Shri years, male/female	I have carefully exar Date of Birth registration	nined Shri/Smt./Kumson/ (DD/MM/YY)Age n Nopermanent resident treetPost Office photograph is affixed above, and am
(A) he/she is a case of:		
• locomotor disabi		
 dwarfism 		
blindness		
(Please tick as a	oplicable)	
(B) the diagnosis in his	/her case is	
(A) he/she has locomotor disab body) as per gui to be specified).	% (in figure) ility/dwarfism/blindr delines (nu	percent (in words) permanent ness in relation to his/her(part of mber and date of issue of the guidelines
2 The applicant has s	ubmitted the followin	g document as proof of residence:—
	Date of Issue	Details of authority issuing certificate
Nature of Document	- Date of lobbe	

(Signature and Seal of Authorised Signatory of notified Medical Authority)

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

FORM VI

CERTIFICATE OF DISABILITY

(In cases of multiple disabilities)

[See rule 18(1)]

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability. Date.....

on/wi nale/fe Re Street	ate No	ident of HState	ouse No, wh	ward/Village/ ose photograph is permanent physical
mair	he/she is a case of Multiple Disa rment/disability has been evaluated a te of the guidelines to be specified) for the relevant disability in the table Disability	or the disai	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
No.		body		
	Locomotor disability	@		
1.	Muscular Dystrophy			
2.	Leprosy cured			
3.	Dwarfism		-	
4.	Cerebral Palsy	,	1	
5.	Acid attack Victim			
6.	Low vision	#	-	
7.		#		
8.	Blindness	£		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing Speech and Language disability			
11.	Speech and Language			
12.	Intellectual Disability Specific Learning Disability			
13.	Specific Learning Disorder Autism Spectrum Disorder			
14.	Autism Spectrum Zas			
15.	Mental illness Chronic Neurological Conditions			
16.	Chronic Neurological			
17.	Multiple sclerosis			
18	Parkinson' s disease			
19	9. Haemophilia			
2	0. Thalassemia			
2	1. Sickle Cell disease	/hor over	all permanen	t physical impairment
p	(B) In the light of the above, his er guidelines (number and as follows:— In figures :percent In words:percent 2: This condition is progressive			

orm viii			
3. Reassessment of disability	y is:		
(i) not necessary,			
or (ii) is recommended/after shall be valid till	years	months	, and therefore this certificate
(DD) (MM)	(YY)		
@ e.g. Left/right/both a # e.g. Single eye			
£ e.g. Left/Right/both 4. The applicant has submi	ears itted the following	g documen	t as proof of residence:—
Nature of document	Date of issue	Details of	f authority issuing certificate
		ibr	
5. Signature and seal of th	e Medical Author	nty.	
Name and Seal of Member	Name and Mem	Seal of ber	Name and Seal of the Chairperson
IAIGHIDEI			Signature/thumb impression of the person in whose favour

of the person in whose favour certificate of disability is issued.

FORM VII CERTIFICATE OF DISABILITY

(In cases other than those mentioned in Forms V and VI)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

[See rule 18(1)]

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability

Certificate No	Date
This is to certify that I have carefully exami	ined
Shri/Smt/Kumson/wife/daug	hter of Shri Date of Birth
No permanent resident of House No.	ward/village/Street
Post OfficeDistrictState	whose photograph is affixed above, disability. His/her extent of
percentage physical impairment/disability has be number and date of issue of the guidelines to	een evaluated as per guidelines (
relevant disability in the table below:-	

Sl. No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low vision	#		
7.	Deaf	€		
8.	Hard of Hearing	€		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease		3	
17.	Haemophilia			/
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

- 2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.
- 3. Reassessment of disability is:
 - (i) not necessary, or
 - (ii) is recommended/after years months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY)
 - @ e.g. Left/Right/both arms/legs
 - # e.g. Single eye/both eyes
 - € e.g. Left/Right/both ears
- 4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of document

Date of issue

Details of authority issuing certificate

(Authorised Signatory of notified Medical Authority)

(Name and Seal)

Countersigned {Countersignature and seal of the Chief Medical Officer/Medical Superintendent/ Head of Government Hospital, in case the Certificate is issued by a medical authority who is not a Government servant (with seal)]

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Note.—In case this certificate is issued by a medical authority who is not a Government servant, it shall be valid only if countersigned by the Chief Medical Officer of the District.

6:1